तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
14/8/20	Covid-19 के कारण पूर्वानुसार वास्ते........ दिनांक 31/8/20 को पेश हो।	
31/8/20	वकील प्रार्थी का B.H. (मा वकील अप्रार्थीगण उप0 बहस अन्तर्गत सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि0 14/9/20 को पेश हो।	
14/9/20	वकील फरीकैन उप0 पूर्ववत् वास्ते आदेश दिनांक 23/9/20 को पेश हो।	
23/9/20	Covid-19 के कारण पूर्वानुसार वास्ते आदेश दिनांक 28/10/20 को पेश हो।	
28/10/20	प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थीगण उप0 गत पेशी को Covid-19 के कारण कोई नहीं आने से आदेश नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली हल्का लेखपाल से क्षतिग्रस्त मकान के बारे में रिपोर्ट तलब हुई। इसलिए पत्रावली में बहस पुनः सुनी जाय। पत्रावली दिनांक 11/11/20 को पेश हो।	
11/11/20	वकील फरीकैन उप0 बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 9/12/20 को पेश हो।	
9/12/20	वकील फरीकैन उप0 प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से पारित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो (नम्बर रजिस्टर से हटा) दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी— श्री ओमप्रकाश मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
39 / 18	अस्थायी निषेधाज्ञा	14.11.18	09.12.2020

मूर्ति मंदिर श्री राधावल्लभ जी महाराज विराजमान सपोटरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान जरिये मोहतमिन पुजारी एव नैक्स फेन्ड मुरारीलाल पुत्र दुर्गालाल आयु 82 साल जाति ब्राहम्ण निवासी सपोटरा जिला करौली राज0।

—प्रार्थी

बनाम

01. हरकेश पुत्र कंचन जाति मीना उम्र 45 साल निवासी काछड़ा तहसील सपोटरा।
02. रूकमकेश पुत्र लक्ष्मण आयु 60 साल।
03. टेमप्रकाश पुत्र रूकमकेश आयु 30 साल। जातियान मीना निवासीयान जोड़ली तहसील सपोटरा।
04. महीपत पुत्र जगनलाल उम्र 35 साल जाति मीना निवासी कानापुरा तहसील सपोटरा।
05. राजू पुत्र धनसिंह आयु 35 साल जाति मीना निवासी डांकीपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थी के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि प्रार्थी श्री राधावल्लभ जी का मंदिर वाके ग्राम सपोटरा सदर बाजार मे मंदिर स्थित है जिसका मुरारीलाल शर्मा पुजारी है और मंदिर ठाकुरजी राधावल्लभ जी की सेवा पूजा करता है। आराजी खसरा नं0 386 रकबा 14 बिस्वा वाके ग्राम सपोटरा तहसील सपोटरा प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है जिसमे काश्त की व्यवस्था मे मुरारीलाल पुजारी करता है जिसकी आमदनी से मंदिर की राजभोग का खर्चा चलता है। उक्त आराजी से दीगर किसी का कोई लेना देना नही है। अप्रार्थीगण सहजोर और लड़ाकू और दिनांक 25.10.18 को उक्त आराजी पर जबरन अनाधिकार पूर्ण तरीके से उक्त आराजी में नींव खोदकर नाजायज तरीके से मकान बनाना शुरू कर दिया है और प्रार्थी के मना करने पर प्रार्थी को मारने पर आमादा हुए है। अप्रार्थीगण ने एलानिया यह कहा है कि हमारी लाठी मे दम है और हम तो इस जमीन से तुम्हे बेदखल करके रहेगें और मारने को आमादा हुये। इसलिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं0 2 व 3 बावजूद तामील उपसिति नही आये इसलिए नके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी सं0 1, 4 तथा 5 ने जरिये वकील उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर कथन किया है कि मूर्ति मन्दिर श्री राधावल्लभ जी महाराज विराजमान सपोटरा मे खसरा नं0 386 रकबा 14 बिस्वा खातेदारी से अप्रार्थीगण को किसी प्रकार से कोई लेना देना नही है तथा अप्रार्थी सं0 1 ने खसरा नं0 381/4 मे से 500 वर्गमीटर भूमि को तहसीलदार सपोटरा के आदेश कमांक 1156–58 दिनांक 27.06.2008 के अनुसार आबादी मे संपरिवर्तित करवाकर आवासीय मकान बना रखे है तथा अप्रार्थी सं0 5 ने खाता सं0 432 मे जो कि आवासीय मकान बना रखे है एवं अप्रार्थी सं0 4 ने खसरा नं0 381/2 मे आवासीय कय करके आबादी मे संपरिवर्तित करवाके आवसीय मकान है। प्रार्थी की खातेदारी से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है ना ही भविष्य मे रहा है। प्रार्थी ही जानबूझकर अप्रार्थीगण को पेरशान कर रहा है। प्रार्थीगण ने दिनांक 06.07.20[illegible] उक्त आराजी का सीमाज्ञान करा लिया गया है तथा सीमाज्ञान मे किसी प्रकार का प्रार्थी की आराजी को अप्रार्थीगण द्वारा कोई नुकासान नही बताया गया है। प्रार्थी बेवजह परेशान करता चला आ रहा है। सीमाज्ञान होने के बाद भी प्रार्थी की नियत साफ नही है ना ही संतुष्ट है। इसलिए प्रार्थी का

उपखण्ड अधिकारी सपोटरा,जिला-करौली

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र खारिज कर प्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण को अपने आवासीय मकान मे शान्ति पूर्वक निवास करने दे तथा अप्रार्थीगण को किसी भी रीति नीति से ना तो परेशान स्वयं करे ना ही दीगर व्यक्ति से करावे।

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के काउन्टर क्लेम का जवाब पेश कर कथन किया है कि अप्रार्थी सं0 1 ने आराजी खसरा नं0 381/4 एवं अप्रार्थी सं0 5 ने खसरा नं0 432 एवं अप्रार्थी सं0 4 ने खसरा नं0 381/2 मे मकान निर्माण नही किया है बल्कि प्रार्थी की आराजी खसरा नं0 386 मे अनाधिकार रूप से दिनांक 5.10.18 को नींव खोदकर मकान निर्माण करना शुरू कर दिया था और प्रार्थी की आराजी खसरा नं0 386 पर अनाधिकार कब्जा कर लिया है और मकान निर्माण कर लिये है सीमाज्ञान स्पष्ट नही है। इसलिए काउन्टर क्लेम अप्रार्थीगण खारिज कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जावे।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी जाकर उस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2073-76 विवादित आराजी खसरा नं0 386 रकबा 14 बिस्वा माफी मंदिर श्री राधावल्लभजी महाराज की खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं संलग्न विक्रय पत्र अनुसार प्लॉट एवं मकान खसरा सं0 381/4 मे स्थित है। उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 16.09.2020 के खसरा नं0 336 रकबा 14 बिस्वा मौके पर खाली पड़ा हुआ है एव उक्त खसरे मे मौके पर कोई निर्माण कार्य नही है। अप्रार्थीगण के इन सभी तथ्यों को दावा मे साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय किया जावेगा।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम सपोटारा तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 386 रकबा 14 बिस्वा मे प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी ना तो स्वयं करे ना ही किसी दीगर व्यक्ति से करावे तथा कोई निर्माण कार्य नही करे। निर्णय आज दिनांक 09.12.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(ओम प्रकाश मीना आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned with CamScanner